न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ऋषभदेव जिला – उदयपुर (राज.)

न्यायिक द्वारा पीठासीन अधिकारी :– श्री शैलेश सुराणा (RAS)
प्रकरण संख्या–2/2015 अपील

दायर दिनांक– 17.06.2015
निर्णय दिनांक– 05.05.2016

1. श्री दाडमचन्द पिता श्री मन्ना उर्फ माना मीणा उर्फ मनजी मीणा निवासी पीपली अ पण्डेरी फला तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर

–अपीलान्ट–

बनाम

1. श्री देवा पिता श्री मन्ना उर्फ माना मीणा उर्फ मनजी मीणा निवासी पीपली अ पण्डेरी फला, तहसील ऋषभदेव जिला उदयपुर
2. श्रीमति सोमली पुत्री श्री मन्ना उर्फ माना मीणा उर्फ मनजी पत्नी श्री खातु मीणा निवासी पडुणा, पाटिया फला जिला उदयपुर
3. श्रीमति वेलकी पुत्री श्री मन्ना उर्फ माना मीणा उर्फ मनजी पत्नी धनजी मीणा निवासी पोगरा, तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर
4. श्रीमति जीजा पुत्री श्री मन्ना उर्फ माना मीणा उर्फ मनजी पत्नी निवासी बम्बाला सरेरा, तहसील खैरवाडा, जिला उदयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव

–प्रत्यर्थीगण –

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व आदेश नियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 10.08.75 द्वारा ग्राम पंचायत पीपली

अपील–अपीलान्ट का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपील के परिशिष्ट–क पर दर्ज मौजा चितरोड की आ.नं. 1410/0.04 – 1411/0.03 – 1412/0.06 कुल किता 3 रकबा 0.13 हैक्टे. (खाता सं.–45) एवं परिशिष्ट–ख पर दर्ज मौजा पीपली अ की आ.नं. 2128/0.09 – 2129/0.13 – 2130/0.01 – 2148/0.06 – 2149/0.09 – 2160/0.27 – 2304/0.04 – 2305/0.03 – 2306/0.05 – 2465/0.04 – 2468/0.04 – 2640/0.10 – 2663/0.02 – 2664/0.14 –2665/0.05 – 2678/0.13 – 2680/0.09 – 2681/0.13 – 2682/0.08 – 2683/0.03 – 2684/0.04 – 2685/0.10 – 2689/0.06 – 2701/0.05 – 2702/0.04 – 2713/0.02 – 2739/0.03 – 2762/0.03 – 2767/0.04 – 2768/0.04 – 4313/2355/0.05 – कुल किता 31 रकबा 2.12 हैक्टे. (खाता सं.–75) तथा परिशिष्ट–ग पर दर्ज आ.नं. 2073/0.92 – 2667/0.18 – 2688/0.08 कुल किता 3 रकबा 1.18 हैक्टे. (खाता सं. 76) कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 1. श्री देवा पिता मन्ना का खाता संख्या 75 व 45 में 1/4 हिस्सा दर्ज है तथा खाता संख्या 76 देवा पिता मन्ना अकेले के नाम दर्ज है। श्री मन्ना उर्फ माना उर्फ मंजी मीणा पिता लखमा का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी संख्या 1 से मिलकर गलत सजरा दर्शाते हुए स्व. लखमा के हिस्से की भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर दर्ज कर दी। ग्राम पंचायत पीपली द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट को बिना जांच पड़ताल के सही मानते हुए नामान्तरकरण सं. 216 को स्वीकार कर दिया जबकि मन्ना उर्फ माना उर्फ मंजी के दो पुत्र एवं तीन पुत्रियां सोमली, वेलकी, जीजा है, इस तथ्य को जानबूझ कर छिपाते हुए नामान्तरकरण संख्या 216 पारित किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। आक्षेपित नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पटवारी हल्का द्वारा अंकित किये

5/5/16

नये सजरे की कोई जांच नहीं की, जबकि गांव में सभी लोगो को यह जानकारी में था कि मृतक खातेदार मन्ना उर्फ माना उर्फ मंजी मीणा के अन्य सन्तान अपीलान्ट एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 2 से 4 मौजूद है। उक्त नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही कोई सूचना पत्र अपीलान्ट को जारी किया गया जिससे अपीलान्ट को आक्षेपित नामान्तरण की जानकारी नहीं हो सकी एवं तारीख जानकारी से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है, फिर भी प्रत्यर्थीगण कोई तकनीकी आपत्ति लेकर अपीलान्ट को न्याय से वंचित न कर सके, इस उद्देश्य से धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पृथक से प्रस्तुत है। अपीलान्ट अधीनस्थ ग्राम पंचायत की कार्यवाही में पक्षकार नहीं था परन्तु आक्षेपित नामान्तरकरण से अपीलान्ट प्रत्यक्षतः पीडित है क्योंकि वह मृतक खातेदार मन्ना उर्फ माना उर्फ मंजी का वारिस है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति का आवेदन पृथक से प्रस्तुत किया गया है। अंत में निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 216 दिनांक 10.08.75 द्वारा ग्राम पंचायत पीपली को निरस्त किया जावे तथा राजस्व गांव पीपली अ एवं चितरोड की अपीलग्रस्त कृषि आराजीयात में मृतक खातेदार मन्ना उर्फ माना उर्फ मंजी पिता लखमा के पुत्र अपीलान्ट का हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मय शपथ–पत्र पृथक से प्रस्तुत किया गया।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट नं. 1 देवा स्वयं दिनांक 09.07.2015 को उपस्थित हुआ तथा दिनांक 10.09.2015 को रेस्पोडेन्ट नं. 2,3,4 की तरफ से वकील श्री लक्ष्मीनारायण नायक ने वकालत नामा पेश किया। दिनांक 26.11.2015 को प्रत्यर्थीगण सं. 2,3,4 के वकील ने जवाब प्रस्तुत नहीं करने का कथन किया, इसलिए उनका जवाब प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया। प्रत्यर्थी नं. 1 देवा दिनांक 30.07.2015 को उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने उभयपक्षो के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील के तथ्यो को ही दोहराया तथा मुख्यतः यही कथन किया कि अपीलग्रस्त भूमि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगायत 4 के पिता स्व. श्री मन्ना उर्फ माना मीणा की पैतृक सम्पत्ति थी। स्व. श्री मन्ना उर्फ माना मीणा के अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 4 कुल 5 संताने हुई. लेकिन श्री मन्ना उर्फ माना पिता लखमा मीणा की मृत्यु के पश्चात खोले गये विरासतन नामान्तरण सं. 216 में अपीलग्रस्त भूमि में स्व. श्री मन्ना उर्फ माना के केवल एक पुत्र प्रत्यर्थी सं.–1 का ही नाम दर्ज किया गया तथा शेष संताने–अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 4 का नाम दर्ज नहीं किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा तत्कालीन सरपंच व पटवारी से मिलीभगत कर नामान्तरण सं. 216 गलत व अवैधानिक रूप से स्वीकृत करा लिया तथा इस प्रकार अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 4 को उनकी पैतृक सम्पत्ति में निहित उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। चूंकि अपीलग्रस्त भूमि मन्ना उर्फ माना की पैतृक सम्पत्ति थी, अतः इसमें उनकी सभी पांचों संतानों यथा – अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगायत 4 सभी का बराबर–बराबर हक निहित है। जबकि नामान्तरण सं. 216 के द्वारा केवल मात्र एक संतान प्रत्यर्थी सं. 1 का ही नाम विरासतन दर्ज किया गया। अतः अपीलग्रस्त नामान्तरण सं. 216 प्रारम्भतः शून्य व अवैध होने से खारिज फरमाया जावे तथा अपीलग्रस्त भूमि में अपीलार्थी का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे।

प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 4 के अधिवक्ता ने दौराने बहस यही कथन किया कि वो अपीलार्थी की अपील से सहमत है तथा अपीलग्रस्त भूमि में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ–साथ प्रत्यर्थीगण सं. 2 लगायत 4 का नाम भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जावे।

5/5/16

हमने उपस्थित उभयपक्षों के अधिवक्तागण की बहस पर चिंतन व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया। अपीलार्थी द्वारा इस अपील के जरिये नामान्तरण सं. 216 दिनांक 10.08.1975 को चुनौती दी गई है। नामान्तरण सं. 216 के द्वारा खातेदार स्व. श्री माना पिता लखमा मीणा की खातेदारी भूमि कुल किता 20 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि जरिये विरासतन श्री देवा (पुत्र), सोमा, मंगला, पिता लखमा (भाई) तथा धूला, मकना पिता काउवा (भतीजे) के नाम पर अन्तरित की गई। अर्थात नामान्तरण सं. 216 के जरिये अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सं. 1 लगायत 4 के स्व. पिता श्री माना की खातेदारी भूमि उनकी मृत्यु पश्चात उसके पुत्र (प्रत्यर्थी सं. 1) के साथ–साथ उसके भाईयों व भतीजो के नाम पर भी अन्तरित की गई, लेकिन इस अपील में इन भाइयों (सोमा व मंगला) तथा भतीजों (धूला व मकना) या उनके वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। अपीलार्थी की अपील को स्वीकार कर यदि नामान्तरण सं. 216 को निरस्त किया जाता है तो उससे प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ–साथ नामान्तरण सं. 216 के जरिये स्वामित्व हासिल कर सहखातेदार बने अन्य व्यक्तियों यथा – सोमा, मंगला, धूला व मकना के अथवा उनके वारिसानों के हित भी प्रभावित होगें तथा न्याय का यह प्राकृतिक सिद्धान्त है कि किसी भी सहखातेदार/आवश्यक पक्षकार को सुने बिना उसके विरूद्ध कोई प्रतिकूल निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। चूंकि इस अपील में उक्त सहखातेदारों/उनके वारिसानों को पक्षकार नहीं बनाया है, अतः ऐसे में उन्हे सुने बिना इस अपील पर कोई भी निर्णय पारित किया जाना विधिसंगत नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलग्रस्त नामान्तरण सं. 216 से हितबद्ध समस्त पक्षकारों को इस अपील में पक्षकार नहीं बनाये जाने से यह अपील आवश्यक पक्षकारों के अनआयोजन के दोष से ग्रसित होने से कानूनन मेन्टनेबल नहीं है, अतः अपील इसी स्टेज पर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

5/5/16

(शैलेश सुराणा)
सहायक कलेक्टर
ऋषभदेव